193145/2021/RU - III

Speed Post

SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

GOVERNMENT OF INDIA

**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत एक संवैधानिक निकाय)

सं. Tour report(CP)/MP/1/2021-RU-III

छठा तल, बी –विंग, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली 110003

दिनांक **01/07/2021**

1. मुख्य सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
   (म.प्र.) 462004
2. प्रमुख सचिव,
   आदिम जाति कल्याण विभाग,
   मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल
   (म.प्र)– 462004
3. जिला कलेक्टर,
   जिला– झाबुआ
   म.प्र. 457661
4. पुलिस अधीक्षक,
   जिला– झाबुआ
   म.प्र. 457661

विषयः– माननीय अध्यक्ष महोदय के दिनांक 09 मार्च 2021 से 18 मार्च 2021 तक के मध्यप्रदेश राज्य के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान द्वारा दिनांक 09-03-2021 से 18-03-2021 तक मध्यप्रदेश राज्य के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको प्रेषित है।

अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं / समस्याओं पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

3805-6
5/7/21 O/C

जारी किया
ISSUED

(आर. के. दुबे)

**उप निदेशक**

**PH. No. 011-24601346**

**Email. Id – assttdir@ncst.nic.in**

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

## श्री हर्ष चौहान, अध्यक्ष

## प्रवास प्रतिवेदन

**09 मार्च 2021 से 18 मार्च 2021 इंदौर एवं झाबुआ, मध्य प्रदेश**

## TOUR REPORT

| | |
|---|---|
| I. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम | श्री हर्ष चौहान,<br>अध्यक्ष,<br>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार<br><br>श्री विश्वनाथ अल्लण्णवर,<br>निजी सहायक,<br>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार |
| II. दौरा के तिथि, दिन, दिनांक, वर्ष | दिनांक **09** मार्च **2021** (मंगलवार)<br>से<br>दिनांक **18** मार्च **2021** तक (गुरुवार) |
| III. दौरा किए गए स्थान | **i.** इंदौर, मध्य प्रदेश<br>**ii.** झाबुआ, मध्य प्रदेश<br>**iii.**गांव धरमपुरी, तहसील एवं जिला, झाबुआ<br>**iv.** गांव बावड़ी बड़ी, तहसील एवं जिला, झाबुआ<br>**v.** गांव चारण कोटड़ा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ |
| IV. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले | निम्नानुसार |

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले | | |
|---|---|---|
| क्रं सं | नाम | पद / संघठन |
| 1 | श्री शिवराजसिंह चौहान | माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन |
| 2 | श्री सुरेश जी सोनी | सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ |
| 3 | श्री महेश शर्मा | पद्मश्री पुरस्कृत एवं ख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा समग्र ग्रामविकास परिषद, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 4 | श्री कालुसिंह मुजाल्दे | सदस्य, जनजाति मंत्रणा परिषद, मध्य प्रदेश |
| 5 | श्री गुमान सिंह डामोर | माननीय सांसद, रतलाम - झाबुआ लोक सभा क्षेत्र, भारत सरकार (म.प्र.) |
| 6 | श्री नागरसिंह चौहान | पूर्व विधायक, अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र (म.प्र.) |
| 7 | श्री शांतिलाल बिलावल | पूर्व विधायक, झाबुआ विधानसभा क्षेत्र (म.प्र.) |
| 8 | श्री माधवसिंह डावर | पूर्व विधायक, जोबट विधानसभा क्षेत्र (म.प्र.) |
| 9 | श्री कलसिंह भाभर | पूर्व विधायक, थांदला विधानसभा क्षेत्र (म.प्र.) |
| 10 | श्री मेगजी अमलियार | सदस्य, जिला पंचायत, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 11 | श्री दीपक चौहान | अध्यक्ष, नगर परिषद, जोबट, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 12 | श्री गणेश भाबर | संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, इंदौर (म.प्र.) |
| 13 | श्री ब्रजकान्त शुक्ला | सहायक आयुक्त,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, इंदौर (म.प्र.) |
| 14 | श्री रोहित सिंह | जिलाधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 15 | श्री आशुतोष गुप्ता | पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ |
| 16 | श्री सिद्धार्थ जैन | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ |
| 17 | श्री दिनेश वर्मा | अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ |
| 18 | श्री एम एल हरित | जिला वन मंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, जिला झाबुआ |
| 19 | श्री जे एस बघेल | अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ |
| 20 | श्री प्रशांत आर्या | सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग , झाबुआ (म.प्र.) |
| 21 | श्री राजराम कटरा | सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा समग्र ग्रामविकास परिषद, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 22 | श्री भवर सिंह भायडिया | सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा समग्र ग्रामविकास परिषद, जिला झाबुआ |

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| | | |
|---|---|---|
| | | (म.प्र.) |
| 23 | श्री जानुभाई बिलावल | सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा समग्र ग्रामविकास परिषद, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 24 | श्री रामसिंह मेडा | सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा समग्र ग्रामविकास परिषद, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 25 | श्री बहद्दूर डामोर | सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा समग्र ग्रामविकास परिषद, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 26 | श्री नाथु भाई | सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा समग्र ग्रामविकास परिषद, जिला झाबुआ (म.प्र.) |
| 27 | श्री रतनसिंह डावर | वनवासी कल्याण आश्रम, झाबुआ |
| 28 | श्री गनपतसिंह मुनिया | वनवासी कल्याण आश्रम, झाबुआ |
| 29 | श्री कांजू भूरिया | वनवासी कल्याण आश्रम, झाबुआ |
| 30 | श्री वकीलसिंह छकराला | जिला अध्यक्ष, जिला अलीराजपुर |
| 31 | श्री लक्ष्मनसिंह नायक | जिला अध्यक्ष, जिला झाबुआ |
| 32 | श्री सोमसिंह सोलंकी | अध्यक्ष, मार्केटिंग सोसाइटी, झाबुआ |
| 33 | श्री भानु भूरिया | जिला अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, जिला झाबुआ |
| 34 | श्री सुरभन मुंडिया | मण्डल अध्यक्ष, भाजपा |
| 35 | श्री मनोहर भण्डारी | सदस्य, जिला काँग्रेस कमिटी, जिला झाबुआ |
| 36 | शी निर्मल मेहता | सदस्य, जिला काँग्रेस कमेटी, जिला झाबुआ |
| 37 | श्री नीमा वकील | सदस्य, जिला काँग्रेस कमेटी, जिला झाबुआ |
| 38 | श्री अजय पोरवाल | जिला उपाध्यक्ष, भाजपा, जिला झाबुआ |
| 39 | श्री भुरजी बबेरिया | तड़वी, गाँव बावड़ी बड़ी, तहसील एवं जिला, झाबुआ |
| 40 | श्री टीटू बबेरिया | सरपंच, ग्राम पंचायत बावड़ी बड़ी, तहसील एवं जिला, झाबुआ |
| 41 | श्री उदयसिंह डामोर | वनाधिकार कानून कार्यकर्ता, गाँव बावड़ी बड़ी, जिला, झाबुआ |
| 42 | श्री सक्करु बिलवाल | तड़वी, गाँव धरमपुरी, तहसील एवं जिला, झाबुआ |
| 43 | श्री उकार गामड़ | सामाजिक कार्यकर्ता, गाँव चारण कोटडा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ |
| 44 | श्री हरीश मेडा | सामाजिक कार्यकर्ता, गाँव चारण कोटडा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ |
| 45 | श्री मानसिंह | सामाजिक कार्यकर्ता, गाँव चारण कोटडा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ |

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

190971/2021/O/o CP

| | | |
|---|---|---|
| 46 | श्री संजय भाबर | जनजाति सुरक्षा मंच, जिला झाबुआ |
| 47 | श्री खेमसिंह जमरा | जनजाति सुरक्षा मंच, जिला झाबुआ |
| 48 | श्री मदन वसुनिया | सहकार भारती |
| 49 | श्री राकेश सहारिया | अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिला झाबुआ |
| 50 | श्री कापसीनह भूरिया | अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिला झाबुआ |
| 51 | श्री मदन वसुनिया | सहकार भारती |
| 52 | श्री कमल डामोर | हिन्दू जनजाति युवा मंच, जिला झाबुआ |
| 53 | श्री कमलेश मावि | हिन्दू जनजाति युवा मंच, जिला झाबुआ |
| 54 | श्री नीरज राठोड | सकल व्यापारी संघ, झाबुआ |
| 55 | श्री पंकज जैन | सकल व्यापारी संघ, झाबुआ |
| 56 | श्री पंकज मेहरा | सकल व्यापारी संघ, झाबुआ |
| 57 | श्री अंतिम जैन | सकल व्यापारी संघ, झाबुआ |
| 58 | श्री महेश शाह | सकल व्यापारी संघ, झाबुआ |
| 59 | श्री राजेश मेहता | जैन सोशल ग्रुप, झाबुआ |
| 60 | श्री विकास शाह | नीमा समाज, झाबुआ |
| 61 | श्री गणेश उपाध्याय | ब्राह्मण समाज झाबुआ |
| 62 | श्री कमरु अजनार | अध्यक्ष, ब्लॉक काँग्रेस, झाबुआ |
| 63 | श्री विजय डामोर | जय आदिवासी युवा संगठन, झाबुआ |
| 64 | श्री संजय गुप्ता | सामाजिक कार्यकर्ता, अलीराजपुर |
| 65 | श्री अशोक ओझा | सामाजिक कार्यकर्ता, अलीराजपुर |
| 66 | श्री कुशलसिंह बामनिया | सामाजिक कार्यकर्ता, अलीराजपुर |
| 67 | ग्राम धरमपुरी में आयोजित बैठक में झाबुआ और अलीराजपुर के अलग अलग गावों के 150 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया | | |
| 68 | ग्राम बावड़ी बड़ी मे आयोजित ग्राम वनाधिकार बैठक मे गाँव के 50-60 निवासी उपस्थित थे | | |
| 69 | गाँव बावड़ी बड़ी मे आयोत हलमा मे 10 गांव के 100 सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे | | |
| 70 | गाँव चारण कोटडा में आयोजित ग्राम वनाधिकार की बैठक में 100 निवासी उपस्थित थे | | |

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**V. दौरे के मुख्य बिन्दु :**

A. श्री गुरुजी सेवा न्यास के चमेलीदेवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर के लोकार्पण समारोह मे सहभागिता |

B. झाबुआ जिले के ग्राम धरमपुरी में झाबुआ और अलीराजपुर के ग्रामीण एवं जनजाति समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक |

C. झाबुआ जिले के ग्राम बावड़ी बड़ी मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी *(वन अधिकारों की मान्यता)* अधिनियम *2007* के तहत सामुदायिक वनाधिकार प्राप्त करने हेतु प्रयासरत ग्राम वनधिकार समिति के साथ बैठक |

D. झाबुआ जिले के ग्राम बावड़ी बड़ी मे भील समाज के पुरातन परंपरा हलमा के माध्यम से बन रहा तालाब के श्रमदान कार्य मे सहभाग किया |

E. झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील के चारण कोटड़ा गाँव मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी *(वन अधिकारों की मान्यता)* अधिनियम *2007* कानून को लागू करने हेतु प्रयासरथ ग्रामवासियों के साथ बैठक |

F. झाबुआ जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, समाज कल्याण अधिकारी, वन मंडलाधिकारी, अनुभागीय अधिकारीयों, तहसीलदारों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक |

G. इंदौर संभाग के अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति विकास विभाग के सम्भागीय आयुक्त, सहायक आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक |

H. विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनजाति प्रतिनिधियों एवं आम जनों से भेंट कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया |

I. सभी ही बैठकों में उद्बोधन के माध्यम से राष्ट्रीय जनजाति आयोग की गतिविधियों एवं जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के संबंध में सूचना देकर सामान्य जन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों को जागरूक किया गया |

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

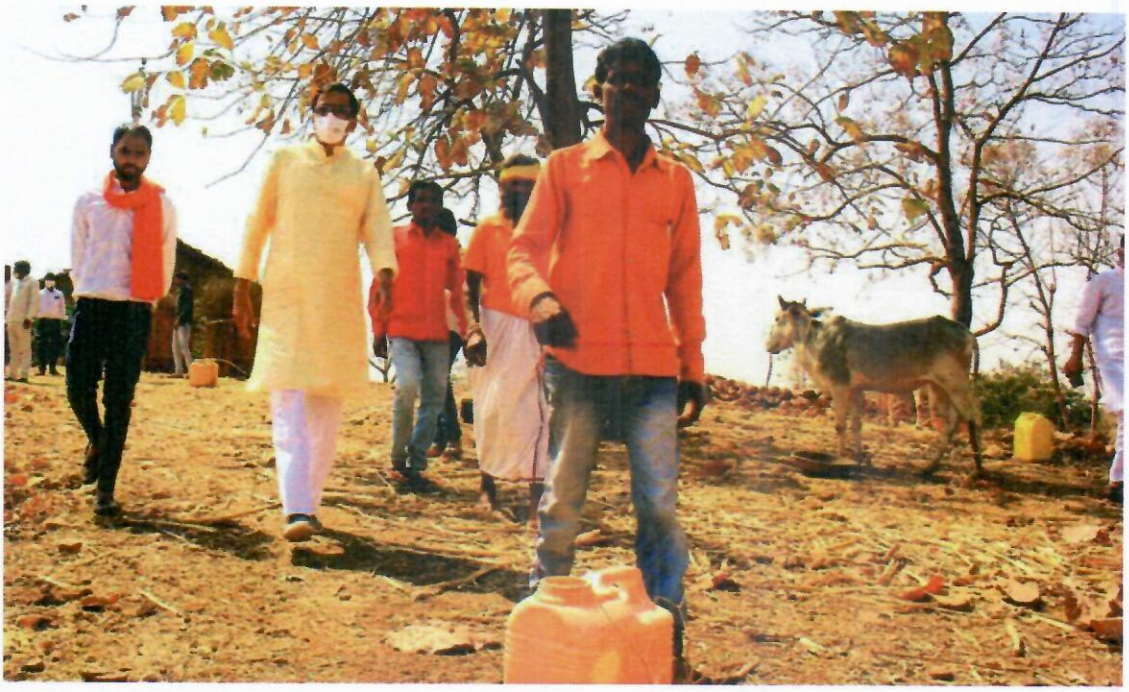

दिनांक 09 मार्च 2021, मंगलवार, इंदौर, मध्य प्रदेश

1. दिनांक 09/03/2021, मंगलवार, को दिल्ली से मध्य प्रदेश विमान संख्या UK912 द्वारा आगमन किया। मंगलवार दोपहर को गुरुजी सेवा न्यास के माधव सृष्टि, चमेलीदेवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर के लोकार्पण समारोह में शामिल हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह श्री सुरेश जी सोनी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, मध्य प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रदेश के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

दिनांक 10 - 11 मार्च 2021, बुधवार - गुरुवार, इंदौर, मध्य प्रदेश

2. दिनांक 10/03/2021 और 11/03/2021 को मैंने इंदौर नगर में वनवासी समाज के जनप्रतिनिधियों से भेंट कर चर्चा किया। जनजाति समाज के वर्तमान स्थिति एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के भूमिका, कर्तव्य और

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की और आयोग के साथ मिलकर किए जाने वाले कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया |

दिनांक **12** मार्च **2021**, शुक्रवार, झाबुआ, मध्य प्रदेश

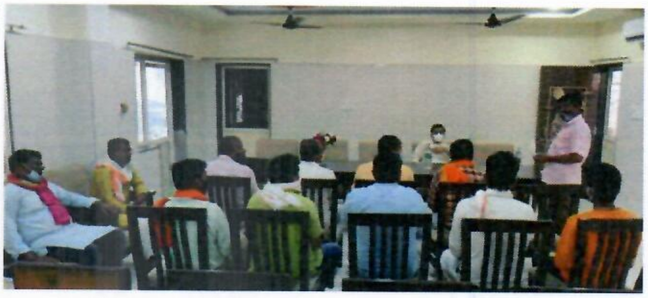

***(उपर के चित्र)* झाबुआ के सर्किट हाउस में अलग अलग सामाजिक संगठनो के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए ;**

***(नीचे का चित्र)* रतलाम - झाबुआ लोक सभा क्षेत्र के सांसद श्री गुमानसिंह डामोर के साथ,**

3. दिनांक 12/03/2021, शुक्रवार को वनांचल प्रदेश झाबुआ के दौरा किया | झाबुआ नगर के सरकारी सर्किट हाउस में झाबुआ और अलीराजपुर जिले के वनवासी समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिओं एवं नगर वासियों से भेंट किया | झाबुआ और अलीराजपुर के वनांचल प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों के बारे मे जानकारी प्राप्त हुआ | जनजाति समाज की समस्याए, उनके निवारण और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनजाति आयोग की भूमिका पर सभी से चर्चा हुई |

   A. शाम के समय, झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री शांतिलाल बिलवाल और उनके कार्यकर्ताओं से भेंट हुआ | उन्होने विशेष रूप से अनुरोध किया की झाबुआ के वनवासी समाज के लोगों को सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य कार्य किये जाने हेतु कोई भी भवन उपलब्ध नहीं हो पाता और ऐसे संदर्भों में पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वनवासी समाज को और परेशान होना पड़ता है | इसलिए श्री शांतिलाल जी ने अनुरोध किया की झबुआ जिले के वनवासी समाज के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए एक धर्मशाला स्वीकृत कर भूमि आवंटित किया जाय |

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

B. अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री नागरसिंह चौहान से भी मिलना हुआ |वनवासी समाज के हित दृष्टि से राष्ट्रीय जनजाति आयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत के बारे उन से विस्तृत रूप से बातचीत हुई | थांदला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री कलसिंह भाबर से भी भेंट कर प्रस्तुत समय मे झाबुआ में विद्यमान परिस्थितियों के बारे में जांकारी ली गई |

C. जोबट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री माधवसिंह डावर से भी भेंट कर झाबुआ में वर्तमान समय में विद्यमान परिस्थितियों के बारे में चर्चा किया गया |

D. झाबुआ जिले के वनवासी कल्याण आश्रम के श्री रतनसिंह डावर, श्री गनपतसिंह मुनिया, श्री कांजू भूरिया और अन्य सदस्यों के साथ भी विस्तार से विचार विमर्श हुई | झाबुआ और अलीराजपुर जिलों मे वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई |

E. झाबुआ में कार्यरत संगठन जनजाति विकास मंच, हिन्दू युवा जनजाति संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधियों से झाबुआ के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य विषयों के बारे में चर्चा हुई | इन संगठनों के प्रतिनिधितों से मुलाक़ात कर जनजाति कल्याण के लिए उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया |

F. हिन्दू युवा जनजाति संगठन के श्री कमल डामोर और उनके साथियों ने निवेदन किया की मानरेगा के अंतर्गत रोजगार को प्रचलित 100 दिनों से 200 दिनों के लिए बढ़ाना चाहिए |

G. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा सदस्यों ने निवेदन किया की जनजाति समाज के विद्यार्थियों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए और झाबुआ नगर में छात्रावासों की संख्या को बढ़ाना चाहिए | उन्होने यह भी निवेदन किया की झाबुआ एक जनजाति बहुल जिला होने के कारण यहाँ एक जनजाती विश्वविद्यालय होना अति आवश्यक है |

H. झाबुआ नगर के सकल व्यापारी संघ के श्री नीरज राठोड, श्री पंकज जैन, श्री पंकज मेहरा, श्री अंतिम जैन और अन्य सदस्यों से भेंट हुई और जिले के वनवासी समाज के विकास में नगरीय समाज की भूमिका के बारे में चर्चा हुई |

I. झाबुआ जिला काँग्रेस कमिटी के श्री मनोहर भण्डारी, श्री निर्मल मेहता, श्री नीमा वकील एवं अन्य सदस्यों के साथ भी भेंट हुई | जिला काँग्रेस कमिटी के सदस्यों से वनवासी समाज की परंपराओं के बारे मे विचार विमर्श करते समय उनको बताया गया कि वनवासी समाज अपनी परम्पराओं के बारे मे सोचने के लिए सक्षम है और नगरीय समाज को वनवासी समाज की परंपराओं के सुधार के बारे मे बात नही करनी चाहिए | अगर नागरीय समाज सही मे वनवासियों के लिए कुछ करना चाहता है तो उनकी सेवा करना चाहिए | वनवासी समाज के लिए अत्यावश्यक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सेवाओं को उचित मूल्य मे उन्हे तहसील और जिला स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए काम करना चाहिए|

<u>दिनांक **13** मार्च **2021**, शनिवार, ग्राम धरमपुरी, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश</u>

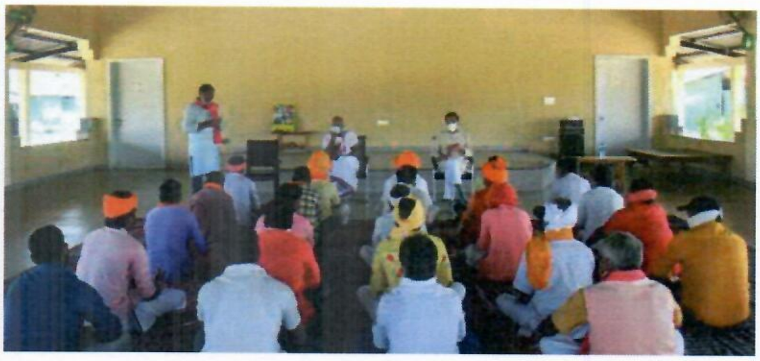

( शिवगंगा गुरुकुल, धरमपुरी, जिला झाबुआ, में भील समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कृत श्री महेश शर्मा जी के साथ बैठक )

4. दिनांक 13/03/2021, शनिवार को झाबुआ तहसील के धरमपुरी गांव का दौरा किया गया | धरमपुरी गांव में केंद्रित शिवगंगा गुरुकुल में झाबुआ और अलीराजपुर के गांवों में सक्रियता से काम कर रहे भील समाज के 150 वरिष्ठ एवं गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सभा मे सहभागिता की |
   A. गुरुकुल में झाबुआ वनांचल के गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कृत श्री महेश शर्मा जी से मेरा भेंट कर विचार विमर्श किया |
   B. फिर समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को उद्बोधन करते हुए मैंने राष्ट्रीय जनजाति आयोग के बारे मे विस्तार से बताया और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया | मैंने सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहा जो काम झाबुआ मे हुआ है, अब आयोग के साथ जुड़कर उस काम को पूरे देश के जनजाति प्रदेशों मे करने का अवसर हमारे सामने है |
   C. अलीराजपुर नगर से आये सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय गुप्ता, राजेश उपाध्याय और उनके साथियों से भेंट किया और अलीराजपुर में भील व भिलाला समाज के उन्नति के लिए वहा के नगरीय समाज की भूमिका के बारे मे चर्चा किया |

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

D. झाबुआ के 'JHABUA LIVE' YOUTUBE न्यूज़ चैनल के पत्रकार श्री चंद्रभान भधोरिया ने मेरा संदर्शन किया | प्रस्तुत संदर्शन मे आज के समय मे जनजातियों से संबन्धित अनेक अहम मुद्दों पर मैंने अपने विचार व्यक्त किये | (संदर्शन का लिंक : <u>(27) आदिवासियों के अधिकारो पर देखिए बडा इंटरव्यू.. राष्ट्रीय जनजाति आयोग के चैयरमैन हर्ष चौहान का - YouTube</u>

5. शाम के समय, रतलाम - झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री गुमानसिंह डामोर एवं उनके सहयोगियों से भेंट व चर्चा हुई | रतलाम - झाबुआ संसदीय क्षेत्र एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जो कि भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है | श्री गुमानसिंह जी के साथ झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिलों की वर्तमान स्थिति, वहां की समस्याएं एवं वहां पर चल रहे प्रगति कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया | खास कर कोरोना के समय में झाबुआ - अलीराजपुर के वनांचल प्रदेशों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के बारे में चर्चा हुई |रतलाम - झाबुआ क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी *(वन अधिकारों की मान्यता)* अधिनियम *2007* और पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम *(पेसा) 1996* के परिणामकारी अनुष्ठान के लिए राष्ट्रीय जनजाति आयोग के साथ काम करने के बारे में भी चर्चा हुई |

<u>दिनांक **14** मार्च **2021**, रविवार, ग्राम बावडी बडी, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश</u>

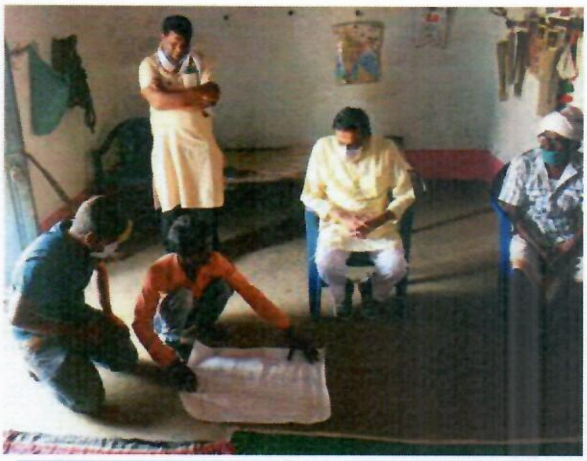

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(झाबुआ जिले के बावड़ी बडी गाँव के ग्राम वन समिति की बैठक मे सहभागिता करते हुए)

6. दिनांक 14/03/2021, रविवार को झाबुआ तहसील के बावड़ी बड़ी गांव का दौरा किया गया। ग्राम बावड़ी बड़ी के ग्रामवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी *(वन अधिकारों की मान्यता)* अधिनियम *2007* के तहत सामुदायिक वनाधिकार प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। इसी तैयारी के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता श्री उदयसिंह डामोर के घर पर बुलाया गया गाँव के वन समिति के एक बैठक में भाग लिया।

A. इस बैठक में गाँव के 50 - 60 लोग उपस्थित थे | बावड़ी गाँव के तड़वी श्री भुरजी बाबेरिया, ग्राम पंचायत के सरपंच श्री टीटु बाबेरिया और ग्राम पंचायत के सचिव भी उपस्थित थे |
B. मैंने ग्रामवासियों से चर्चा किया और सामूहिक वनाधिकार प्राप्त करने हेतु हो रही तैयारियों का अवलोकन किया | इस प्रक्रिया से गुजरते हुए उनके जो अनुभव आ रहे थे, मैंने उनको सुना |
C. सामुदायिक वनाधिकार के इतिहास को ज्ञापन कराते हुए मैंने ग्रामवासियों से कहा की भारत में अंग्रेजों के आने से पहले तक वन की सुरक्षा एवं संवर्धन का काम वनवासी ही करते थे। अंग्रेजों ने यह अधिकार पहली बार छीना |
D. आज सरकार फिर से यह अधिकार जनजाति समाज को लौटाना चाहती है| लेकिन हमारे अधिकारियों को लगता है कि सामान्य वनवासी लोग वन की व्यवस्था एवं सुरक्षा करने मे सक्षम नहीं है | इसलिए वे वन अधिकार देना नहीं चाहते | ऐसे संदर्भ मे हमे यह अधिकार प्राप्त करके वन की संवर्धन व उसकी व्यवस्थापन करके दिखाना पड़ेगा |
E. ग्रामवासियों को समझाया की मध्य प्रदेश सरकार ने वनाधिकार कानून के नियमों को बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया है और शीघ्र ही नियमों के स्पष्टता न होने से जो परेशानी हो रही थी, वह समाप्त हो जाएगा | वनाधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो भी समस्याए आ रही है, उनका शीघ्रता से समाधान कर वनाधिकार प्राप्त करना पड़ेगा |
F. बैठक में उपस्थित गांव के तड़वी, सरपंच, मंत्री और अन्य ग्रामवासियों ने भी विश्वास दिखाया कि वे वनाधिकार प्राप्त कर के ही रहेंगे |

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

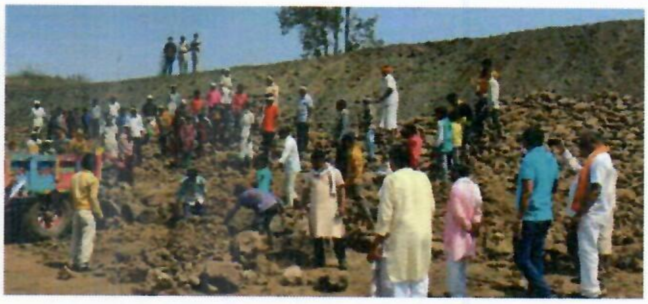

**झाबुआ जिले के ग्राम बावड़ी बड़ी में हलमा के माध्यम से बन रहे तालाब के काम मे सहभाग लेते हुए श्री हर्ष चौहान, अध्यक्ष, रा. अ.ज.जा.आ. )**

7. बैठक के बाद भील समाज की पुरातन परम्परा हलमा के माध्यम से बन रही तालाब के स्थान पर पहुंचा और हलमा मे भाग लिया | हलमा में करीब 10 गांवों के 100 से अधिक लोग सम्मिलित थे | बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष एवं महिला सभी मिल कर एक सहज पारिवारिक भाव से काम कर रहे थे |

   A. हलमा मे आने वाले किसी भी व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिलती |ये लोग परमार्थ की भावना से गाँव के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे है |
   B. सुबह से चल रही हलमा के माध्यम से तालाब के पाल की आधे हिस्से में पत्थरों की पिचिंग का काम समाप्त हो गया था और बचा हुए आधे हिस्से का काम शाम तक होने की उम्मीद थी |
   C. पहले भी यह मेरा निश्चित मत रहा है कि जनजाति समाज अपने श्रेष्ठ पुरातन परंपराओं के बल से आज भी अपनी रक्षा व अक्षय विकास कर सकता है |
   D. हलमा जैसी परंपराए देश के सारे ही जनजाति समाजों में विद्यमान है | इन परंपरओं के माध्यम से जो जन से सहभागिता संभव हो सकती है, वैसी सहभागिता किसी और प्रक्रिया से होना कठिन है | आज

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हलमा के पुनर्जागरण से झाबुआ और अलीराजपुर के गांवों में अनेक जल संरचनाएं स्वतः ग्रामीण लोगों से बनी है और पूरे वनांचल क्षेत्र में आशा का एक नया दौर शुरू हुआ है |

E. झाबुआ दर्शन की यात्रा पर इंदौर से आए नगरवासियों ने भी हलमा में भाग लिया | उनसे मिलकर बातचीत की और वनांचल में घूमते हुए उनके अनुभवों को भी सुना।

8. दोपहर को 03:00PM से 07:00PM तक IIT दिल्ली के एक वेबिनार में मैंने भाग लिया।

9. तत्पश्चात, मैंने झाबुआ के वनवासी समाज के हित के लिए प्रयासरत युवाओं के एक समूह से मिलकर विस्तार से बात कर उनका मार्गदर्शन किया | युवा समूह के श्री प्रियांश चौधरी, श्री पवन परमार, श्री चेतन सोनी, श्री लोकेन्द्र बिलवाल और अन्य सदस्यों से मिलना हुआ | युवाओं को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अपेक्षित भूमिका, कर्तव्य और उसके अधिकारों से अवगत कराया गया|

<u>दिनांक **15 मार्च 2021**, सोमवार, ग्राम चारण कोटडा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश</u>

**झाबुआ जिले के ग्राम चारण कोटडा के ग्राम वन समिति के बैठक मे सहभाग लेते हुए श्री हर्ष चौहान, अध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. )**

10. दिनांक 15/03/2021, सोमवार, को मैंने पेटलावद तहसील के चारण कोटड़ा गांव का दौरा लगाया | चारण कोटड़ा गाँव के लोग भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी *(वन अधिकारों की मान्यता)* अधिनियम *2007* के अंतर्गत सामुदायिक वनाधिकार प्राप्त करने हेतु सक्रिय रूप से प्रयासरत है | सोमवार के दिन ग्राम मे वन समिति की एक बैठक मे शामिल हुआ |

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

A. ग्रामवासियों से पता चला की नर्मदा बांध के कारण चरण कोटड़ा गांव के लोगों को उनके पुराने गाँव से विस्थापित करके, वर्तमान गाँव में जमीन दी गई है | अभी तक विस्थापन का सम्पूर्ण मुआवजा ग्रामवासियों को नहीं मिला है | विस्थापन एवं वर्तमान मे हो रही परेशानियों को ग्रामीणों ने विस्तार से प्रस्तुत किया |

B. वन सामिति के बैठक मे गाँव के तड़वी श्री उकार गामड़, शिक्षक श्री हरीश मेडा भी उपस्थित थे | श्री हरीश मेडा ने समूहिक वनधिकार प्राप्त करने हेतु अभी तक हुए गतिविधियों से मुझे अवगत कराया | गाँव मे आयोजित बैठक में वन भूमि की समीक्षा, नक्शा, सरकारी कार्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों के अलावा अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई|

C. उद्बोधन में मैंने कहा कि गाँव के लोगों को मिलकर जंगल लगाने के लिए काम करना पडेगा | जो जंगल हम लगाएंगे उससे आने वाली पीढ़ी को सुख मिलेगा | इसी तरह से 'संवर्धन से समृद्धि' का काम होगा | आज महाराष्ट्र के कई गावों मे वन संपत्ति के माध्यम से गांव के लोग आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहे है | हमें भी वनाधिकार प्राप्त करने की दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा और जंगल लगाने पड़ेंगे |

D. चारण कोटड़ा गाँव मे एक विशेष समस्या सामने आई कि व्यक्तिगत पट्टा मिल जाने के बावजूद भी वन विभाग द्वारा उस जमीन पर CAMPA के अंतर्गत वन लगाने का काम चल रहा है | इस काम को रोककर उनके अधिकार का जमीन उन्हे दिलाने के लिए ग्रामवासियों ने निवेदन किया|

11. इन सारी समस्याओं के संदर्भ में उचित कार्यवाही करने हेतु ग्रामवासियों ने आवेदन दिया | इन आवेदनों को श्री प्रशांत आर्या, सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग , झाबुआ (म.प्र.), के माध्यम से संबंधित विभागों को आगे की कार्यवाही करने के लिए भेज दिये है|

( झाबुआ कलेक्टर कार्यालय में जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक )

12. दोपहर 04:00 बजे से झाबुआ कलेक्टर कार्यालय में जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घटित जनजाति मंत्रणा परिषद के माननीय

Harsh Chouhan
हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सदस्य श्री कालुसिंह जी मुजाल्दा भी उपस्थित थे | बैठक में जिलाधिकारियों से जिले में चल रहे कार्यों के जानकारी ली और जनजाति क्षेत्र मे जमीनी स्तर पर कार्य करते वक़्त अधिकारियों का वास्तविक अनुभव सुना| अधिकारियों ने अपने अपने विभागों से संबन्धित काम करते समय जो वास्तविक कठिनाइया आती है जिनके कारण कार्य मे रुकावटे आती है / विलंब हो जाता है / दूसरे विभागों के साथ समन्वय नहीं हो पाता, ऐसे विषयों से भी मुझे अवगत कराया| अधिकारियों को निर्देशित किया गया की उनके सुझावों को लिखित रूप में आयोग को प्रेषित करे | बैठक मे प्रमुख रूप से निम्न लिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिये गए|

A. उद्बोधन में मैंने राष्ट्रीय जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, आयोग के कार्य करने की कार्यप्रणाली, भारतीय संविधान में एवं भारत सरकार द्वारा जनजाति समाज के संरक्षण और उनके उत्थान के लिए किए गए प्रावधान, जनजाति समाज के लिए बनाए गए कानून, नियम इत्यादि की जानकारी उपस्थित अधिकारीगण को दी|
B. झाबुआ में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी *(वन अधिकारों की मान्यता)* अधिनियम *2007* और पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम *(पेसा) 1996* कानूनों को लागू करने के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा हुई | झाबुआ जिला जनजाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त से पता चला की आज तक उनके सामने किसी भी गांव से सामूहिक वन अधिकार प्राप्त करने हेतु एक भी दावा नहीं आया है | यह दर्शाता है की प्रस्तुत विषय के बारे में जनजाति समाज में जागरूकता के बीच में बहुत कम जानकारी है|
C. सारे विभागों के अधिकारियों को वनाधिकार कानून एवं पेसा कानून के क्रियान्वयन में अपेक्षित समस्याओं को पहले से ही सोचकर उनका निवारण करने के संबंध में निर्देश दिया गया। सामुदायिक वनाधिकार और पैसा कानून के लागू करने में झबुआ जिले को पूरे देश में अग्रणी स्थान में पहुंचाने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दी।
D. बैठक में पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम *(पेसा) 1996* कानून की क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मोबालाइजर नियुक्त होंगे, उनके बेहतर ट्रेनिंग और ओरियंटेशन होने की जरूरत के बारे में भी चर्चा हुई | श्री आर.सी.हालू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, थांदला ने बताया की मोबालाइजरों की ट्रेनिंग के लिए 15 दिन का योजना होगा |
E. जनजाति क्षेत्र के बच्चों को उनके स्थानीय भाषा मे पढाने के बारे में और कक्षा छट्ठी, सातवीं और आठवी में विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में 'मेरा जिला' एक विषय के रूप में समावेश किए जाने के विषय में भी चर्चा हुई |
F. वन भूमि में किसी प्रकार के काम करने हेतु NPV (Net Present Value) को जमा करने की विषय में जो समस्याए आती है, उसके विषय में भी चर्चा हुई |

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

G. श्री आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया की अनुसूचित जाती / जनजाति राहत प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित हो जाते है | उन्होने यह भी कहा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति *(अत्याचार निवारण )* अधिनियम के अंतर्गत धारा *376* संबंधी प्रकरणो में मेडिकल रिपोर्ट का प्रावधान है, जिसके अभाव में प्रकरण लंबित रह जाते है | उक्त के संदर्भ में शिथिलता रखी जाए | उक्तानुसार आवश्यक सुधार के लिए सुझावों को अनुशंसाओं के साथ आयोग को प्रस्ताव प्रेषित कराने के लिए निर्देशित किया गया|

H. श्री सिद्धार्थ जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति समाज के लिए क्रियान्वित की गई कल्याण योजनाओं से समाज में हुये प्रभाव का विश्लेषण किए जाने चाहिए|

13. अंत में सभी अधिकारियों को कहा कि वे समय समय पर अपने जमीनी अनुभव को आयोग से साझा करें और आयोग के साथ मिलकर विभिन्न विभाग सकारात्मक रूप से क्या कार्य कर सकते है इस संदर्भ में अपने सुझाव आयोग को भेजें|

<u>दिनांक **16** मार्च **2021**, मंगलवार, इंदौर, मध्य प्रदेश</u>

( अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, इंदौर संभाग के संभागीय उपायुक्त श्री गणेश भाभर एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक )

14. दिनांक 16/03/2021, बुधवार को झाबुआ से निकल कर इंदौर पहुंचे | इंदौर नगर की रेसीडेंसी कोठी में दोपहर 03:30 बजे मैंने राष्ट्रीय जनजाति आयोग के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी एवं प्रभारी,

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती दीपिका खन्ना और उनके साथ आए डेटा एंट्री ऑपरेटर श्री लेकेश गोलाइत के साथ बैठक किया। बैठक में अभी तक भोपाल कार्यालय द्वारा किए गए कार्य, वर्तमान में चल रहे कार्य और उनके प्रगति के बारे में संज्ञान लिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से वर्तमान में चल रहे जागरूकता एवं प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा झाबुआ और अलीराजपुर दौरे के विषय में भी चर्चा की गई।

15. तत्पश्चात रेसीडेंसी कोठी में, दोपहर 4:00 बजे से मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इंदौर संभाग के संभागीय उपायुक्त श्री गणेश भाभर, इंदौर जिले के सहायक आयुक्त श्री ब्रजकांत शुक्ल, सहायक आयुक्त श्री रामलाल चौहान एवं अन्य अधिकारिगण एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी एवं प्रभारी, श्रीमती दीपिका खन्ना उपस्थित थे।

A. उद्बोधन में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया और आने वाले समय में आयोग के माध्यम से सभी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त किया।
B. बैठक में अधिकारियों से मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित योजनाओं के बारे मे जानकारी ली।
C. सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के छात्र / छात्राएं अध्ययन करने हेतु इंदौर नगर मे आते है। इन जनजाति समाज के विद्यार्थियों की संख्या, शासन द्वारा उनके लिए संचालित विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति एवं उनकी समस्याएं और उनके निवारण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई।
D. जनजाति बाहुल्य जिलों में साक्षरता की कमी होने के कारणों पर भी चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार मुख्य रूप से प्रव्रजन ही इसका कारण है।
E. चर्चा के दौरान अधिकारियों से कहा की विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए और विद्यार्थियों के झुकाव को समझकर उसके अनुसार सुविधाएं दिलाई जाए। विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास केन्द्रों को प्रारम्भ करने के दिशा में कार्यरत होने की जरूरत पर भी मैंने अपने विचार रखें।
F. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के तरफ से जनजाति विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग और कौशल एवं उद्यमिता विकास विषय को अध्ययन के रूप में लेने के विषय में भी चर्चा हुई।
G. बैंकों में जनजाति समाज के हितग्राहियों को लोन मिलने में कठिनाइयां आने के विषय में भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि सामान्यतः बैंक के अधिकारी जनजाति समाज के व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते जबकि केनरा बैंक इंदौर में अनुसूचित जनजातियों के एन.पी.ए. खाते सब से कम है।

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

H. बैठक में अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के विषय में जानकारी ली और उससे संबंधित राहत राशि के विषय में चर्चा किया| अधिकारियों ने कहा की अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम *2016* (संशोधित) के अनुसार भारतीय दंड विधान की धारा *376* के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में राहत राशि देना कठिन हो गया है | अधिनियम के अनुसार एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही राहत राशि की प्रथम स्तर की स्वीकृति की जाती है | भारतीय दंड विधान की धारा 376 के मामलों में यह तो एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाती या नेगेटिव आती है, जिसके कारण प्रकरण पर राशि स्वीकृत नहीं की जा सकती | बलात्कार के मामलों में डॉक्टर के ओपिनियन स्पष्ट न होने पर राहत राशि नहीं मिल पाती | अधिकारियों ने कहा कि इसलिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है |

I. अधिकारियों ने कहा की हितग्राही के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के संदर्भ में, यदि उसके परिवार के किसी सदस्य के जाति प्रमाण पत्र हो, तो उसे मान्य कर शीघ्र कार्यवाही कर राहत राशि प्रदान किये जाने की प्रावधान कानून में होना चाहिए |

<u>दिनांक **17** मार्च **2021**, बुधवार, इंदौर, मध्य प्रदेश</u>

16. दिनांक 17/03/2021, गुरुवार को मैंने इंदौर नगर में जनजाति प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट कर जनजाति समाज के वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चर्चा किया।

<u>दिनांक **18** मार्च **2021**, गुरुवार, इंदौर, मध्य प्रदेश</u>

17. दिनांक 18/03/2021, शुक्रवार को इंदौर से दिल्ली विमान संख्या UK912 द्वारा पहुंचा | राष्ट्रीय जनजाति आयोग के कार्यालय, लोकनायक भवन पहुंचकर वर्तमान कार्यालय की गतिविधियों का संज्ञान लिया |

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi